(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3406–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–12–2012 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 190/बी–103/2011–12/33

नरेश पाल पुत्र प्रभुदयाल पाल
निवासी ग्राम बड़ागांव
परगना व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर आफ स्टाम्प ग्वालियर
2– श्रीमती मीरा पत्नी नवाब सिंह यादव
निवासी ग्राम हुरावली मुरार ग्वालियर
द्वारा मुख्तयारआम राजेन्द्र यादव
पुत्र नवाब सिंह यादव निवासी ग्राम हुरावली
परगना व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक अना. क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 2 द्वारा आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्त्व की भूमि सर्वे कमांक 543 रकबा 0.094 हेक्टेयर विकय की गई और दिनांक 20–9–2011 को रूपये 1,650/– के मुद्रांक शुल्क दस्तावेज पंजीकृत कराया

गया । उक्त दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क कम पाये जाने पर उप पंजीयक द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत अवरूद्ध कर उचित मूल्यांकन हेतु प्रकरण कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला ग्वालियर को भेजा गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा 190/बी–103/2011–12/33 दर्ज कर दिनांक 4–12–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 37,60,000/– अवधारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 2,70,950/– एवं रूपये 30,000/– की शास्ति कुल राशि 3,00,950/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा म0प्र0 लिखतों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 4 (4)(ग) के अन्तर्गत आवेदक को सूचना देकर विधिवत स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति मुख्य मार्ग से अन्दर स्थित है, परन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा मुख्य मार्ग पर मानकर बाजार मूल्य निर्धारित करने में अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा गाईड लाईन के आधार पर बाजार मूल्य अवधारित करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को सूचना दिया जाकर स्थल निरीक्षण किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन सम्पत्ति की स्थिति, संरचना एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित गाईड लाईन के आधार आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा म.प्र. लिखतों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 4 व 5 का पालन करते हुए प्रश्नाधीन

सम्पत्ति का बाजार मूल्य अवधारित करने में उचित कार्यवाही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर